

20/9/18 पत्रावली पेश हुई / कुमुदाम उमर
 वकील प्रियारी. व. प. 5 का नमक
 प्रायग पत्र, सख्त पेश, बिना संलग्न पत्रावली
 का अंशक र. 6 7 कोरमल प्रमाणों से
 पत्रावली वाले अटक कारिता बैंक
 25/10/18 के पेश हो।

25/10/18

सहायक कलक्टर एफ
 उपखण्ड अधिकारी
 दीपाड गढ़ (जोधपुर)

पत्रावली पेश हुई। आज बीडालीन प्रमाणों का प्रस्ताव होरे पर।
 पत्रावली संलग्न होकर, बिना पेश हो।

29/11/18

29/11/18 पत्रावली पेश हुई अटक अकुपाड कुता गरी
 अटक सुनने के पश्चात् वकील अकुपाड कुता
 यह किन्तु अटक में इलापगिदा है कि
 प्रायग न सपना प्रायग पत्र में सुचायन
 के वरत वृक्ष में सुनी देवी जो प्रायग कताप है।
 अता प्रायग पत्र खारिज किया जावे। वकील
 प्रायग न सपना अटक में कताप है कि

सहायक कलक्टर एफ
 उपखण्ड अधिकारी
 दीपाड गढ़ (जोधपुर)

एक लिपिबद्ध कृति के पुनी देनी के द्वारा
 वेश, हस्त के जोत निम्न दिग्ग जमा है। यह
 टेक्नीकल कृति है इस कृति पर प्राणी एवं
 प्राणियों पर खारिज नहीं किया जा सकता है।
 प्राणियों के सारलोक्य, रक्षावैजान के
 निरीक्षण के स्पष्ट है कि पुनी देनी द्वारा
 प्राणियों पर हास्ताक्षर किया है, वेश हस्त
 के जोत टेक्नीकल कृति प्रतीत होता है, इस
 कारण पर प्राणियों पर एवं खारिज नहीं
 किया जा सकता है। साथ ही प्रथम दृष्टया
 प्राणीगण बुधारास जी पुनी है। पुनी के वारिसान
 इस वश्य एवं कंठी भी प्राणी द्वारा चैलेंज
 नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया सातवा
 प्राणीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। साथ ही
 इका विधापृष्ठ भूमी ख. नं 100 व 1143
 एवं सग. सार्ज बेचान व हास्ताक्षरों द्वारा जी
 प्राणीगण एवं अपूरणीय क्षति होगी व सुविधा
 एवं अनुलग्न भी प्राणीगण के पक्ष में प्रतीत
 होता है। अतः प्रथमपक्ष एवं इस सारस्य जी
 सहाई निवेद्यता के साथ प्राण-द्विगुनीय
 है कि वे राजस्व उक्त रिषों के लाफरस
 साराजी ख. नं 100 व 1143 एवं लाफरस
 वस लाफ राजस्व रेकर्ड व मौकें की मर्यादित
 बनाये रखे। बेचान हास्ताक्षर नहीं करेंगे।
 पतापती फलतः सुगा हाका नम्बर के अन्तर्

महायक कलक्टर एवं
 उपसचिव अधिकारी
 मेवाड़ शहर (जोधपुर)